1	2	3	4
18.	Orissa	896.9	501.1
19.	Punjab	721.5	411.3
20.	Rajasthan	864.7	156.6
21.	Sikkim	3736.7	
22.	*Tamil Nadu	3736.7	1744.7
23.	Tripura	179.7	49.6
24.	Uttar Pradesh	2534.7	2062.5
25.	West Bengal	5091.2	2563.7
	Union Territories		
26.	Andaman & Nicobar Islands	17.0	8.6
27.	Chandigarh	161.9	86.0
28.	Dadra & Nagar Haveli	2.9	1.2
29.	Delhi	905.5	648.1
30.	Daman & Diu	2.5	
31.	Lakshadweep	6.9	1.7
32.	Pondicherry	130.4	68.5
	Total	36758.4	21106.8

Notes : 1. *No Employment Exchange is functioning in this State.

2. Figures may not add up to total due to rounding off.

756. [*Transferred to 13th May, 1993*]

कर्मचारियों की भविष्य निधि राशियों का जमा कराया जाना

757. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में कितनी व्यापारिक संस्थाओं को कर्मचारियों की भविष्य निधि के रूप में पांच लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करानी थी; और

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनकी ओर कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Verification of strength of Port Trust Unions

758. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY : Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2144 given in the Rajya Sabha on the 7th December, 1992 and state :

(a) whether the cargo handling workers of different Unions operating in the ports of Tuticorin, New Mangalore and Paradip have been verified and ascertained for the purpose of representation of Labour in Port Trusts where there is no D.L.B. but cargo handling workers are performing the same work under Cargo handling scheme;

(b) if so, what are the details of strength of Cargo Handling Workers of different Unions in all those ports; and

(c) if not, what are the reasons therefor with reference to the verified strength of Cargo Handling Workers at Paradip Port ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समय-सीमा

759. **श्री राम जेठमलानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में पूर्ण-कालिक रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो यह समय-सीमा क्या है और इस समय तक कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हो जाने की संभावना है ;

(ग) सरकार द्वारा इन सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का प्रतिशत निर्धारित किया है ; और

(घ) सरकार किन-किन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने का विचार रखती है और प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए जायेंगे ।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) : 1992-2002 के दस वर्षों की अवधि में, रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या लगभग 940 लाख होने का अनुमान है। यह मूल्यांकन किया गया है कि क्षेत्रीय विकास दरें, जिससे प्रति वर्ष 5.6% सम्पूर्ण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर और आठवीं योजना के दौरान परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति से प्रतिवर्ष लगभग 2.6 से 2.8% की रोजगार वृद्धि या औसतन प्रतिवर्ष 80 से 90 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर, या लगभग कुल 430 लाख रोजगार अवसर सृजित होंगे। आठवीं योजना को रोजगार वृद्धि के नौवीं योजना में जारी रहने, जिससे औसत रूप से प्रतिवर्ष लगभग 95 लाख रोजगार अवसर सृजित होने की आशा है, से सन् 2002 तक बेरोजगारी नगण्य स्तर तक कम की जा सकेगी ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है । भौगोलिक तथा ग्रामीण फसलवार विविधीकृत कृषीय विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर-फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं । आठवीं योजना में परिकल्पित क्षेत्रीय विकास दरों और रोजगार लोच के पूर्वानुमान पर अनुमानित 1992-97 की आठवीं योजना के दौरान सैक्टरों द्वारा संभावित रोजगार सृजन निम्न प्रकार है :

क्षेत्र	आठवीं योजना अवधि के दौरान सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त संभावित रोजगार अवसर (मिलियन)
1	2
1. कृषि	16.5
2. खनन और उत्खनन	0.7